राज्य द्वारा एडीपीओ उप0। आरोपी रामकिशन पूर्व से निर्णीत। आरोपी कल्लू उर्फ सुदर्शन, रमेशचन्द्र दीक्षित, संजय, राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, एवं छुन्ना पूर्व से फरार घोषित।

आरोपी हरनारायण अनुपस्थित। प्रकरण आज आरोपी हरनारायण की उप० हेत्

नियत है।

आज दिनांक को आरोपी हरनारायण को जारी गिरफतारी वारण्ट अदम तामील वापिस प्राप्त।

यह उल्लेखनीय है कि आरोपी हरनारायण प्रकरण में काफी समय से अनु0 है उक्त आरोपी को कई पेशियों से गिरफतारी वारण्ट जारी किए जा रहे हैं परन्तु आरोपी पर वारण्ट की तामील नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी वारण्ट की तामील से बचने के लिए छिप गया है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः आरोपी को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है। आरोपी हरनारायण के विरुद्ध प्रकरण में स्थायी गिरफतारी वारण्ट जारी किया जावे।

प्रकरण में आरोपीगण अनुपस्थित हैं अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे। उक्त संबंध में प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से टीप अंकित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / — (प्रतिष्ठा अवस्थी) जेएमएफसी, गोहद

STINIST PREPARE